ओमकंवर, दिलिप सिंह, मन्जूकंवर के बंट में अन्य सम्पतियां होने से उक्त सम्पतियों में उनका कोई हक बंट नहीं होने से उक्त खेताया में किसी प्रकार से कोई हिस्सा नहीं रखा गया है। माफिक बंट अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से यह वाद पेश किया गया है। राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है। जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ ने वकालतनाम मय ईकबाली जवाब दावा पेश कर वाद से सहमति जताई। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त जो केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की तरफ से इकबाली जवाब दावा पेश होने व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा डेरोली के खाता संख्या 159 प्रदर्ष–1 एवं नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा सिलारिया के खाता संख्या 486 प्रदर्ष–2 व नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा सिलारिया के खाता संख्या 22 प्रदर्ष–3 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिकी करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 एवं 6 क्रमशः हिम्मत सिंह, सम्पत कंवर, ओमकंवर, दिलिप सिंह, मन्जूकंवर ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 तेजसिंह के बंट में मौजा सिलारिया के खसरा नम्बर 898/391 रकबा 1.5427 हैक्टेयर में से रकबा 0.7713 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 2 हड़मानसिंह के बंट में मौजा सिलारिया के खसरा नम्बर 898/391 रकबा 1.5427 हैक्टेयर में से रकबा 0.7714 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. वादी संख्या 3 मुकनकंवर के बंट में मौजा सिलारिया के खसरा नम्बर 922/396 रकबा 1.8025 हैक्टेयर में से रकबा 0.9042 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
4. वादी संख्या 4 राजकंवर के बंट में मौजा डेरोली के खसरा नम्बर 144/279 रकबा 0.8579 हैक्टेयर में से रकबा 0.6435 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner

5. प्रतिवादी संख्या 5 बलवन्त सिंह के बंट में मौजा डेरोली के खसरा नम्बर 144/279 रकबा 0.8579 हैक्टेयर में से रकबा 0.2144 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
6. प्रतिवादी संख्या 7 प्रीतिकंवर के बंट में मौजा सिलारिया के खसरा नम्बर 922/396 रकबा 1.8025 हैक्टेयर में से रकबा 0.5746 हैक्टेयर मध्य हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
7. प्रतिवादी संख्या 8 रामेश्वरी के बंट में मौजा सिलारिया के खसरा नम्बर 922/396 रकबा 1.8025 हैक्टेयर में से रकबा 0.3237 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
8. प्रतिवादी सं. 1 से 4 एवं 6 क्रमशः हिम्मत सिंह, सम्पत कंवर, ओमकंवर, दिलिप सिंह, मन्जूकंवर द्वारा अपने हक हिस्से का त्याग करने से मामला हक त्याग के द्वारा भूमि अन्तरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।
9. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।
10. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर * जायल * (एस.डी.ओ.)

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 9.12.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner